# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

**पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)**

## अपील संख्या– 2025/255

भंवरलाल आत्मज रामकरण जाति गूर्जर निवासी ग्राम नन्दगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी

–अपीलांट

**बनाम**

1. रामेश्वर आत्मज नन्दा जाति गूर्जर निवासी ग्राम नन्दगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार नैनवां

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहसः– 1. श्री घनश्याम नागर अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

**निर्णय** **दिनांकः 14.10.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 131/2022(gcms no. 2022/247) में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम नन्दगांव पटवार मण्डल लाम्बाबर्डा तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान की जमाबन्दी सम्बत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 208 पुराना 205 के अनुसार खसरा संख्या 561/732 रकबा 0.9627 हेक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ भूमि स्थित है। ग्राम नन्दगांव पटवार मण्डल लाम्बाबर्डा तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान की जमाबन्दी सम्बत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 1 पुराना 1 के अनुसार खसरा संख्या 556 रकबा 3.5839 हेक्टेयर किस्म बंजड राजकीय सिवायचक भूमि स्थित है। ग्राम नन्दगांव पटवार मण्डल लाम्बाबर्डा तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान की जमाबन्दी सम्बत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 104 पुराना 111 के अनुसार खसरा संख्या

864/556 रकबा 0.4854 हेक्टेयर किस्म बजंड़ भूमि स्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या खसरा संख्या 561/732 में जाने का एक मात्र रास्ता जेतपुर से गुढासदावर्तिया जाने वाली आम सड़क खसरा संख्या 556/722 के दक्षिण ओर स्थित वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 864/556 की भूमि में होता हुआ नक्शा परिशिष्ठ "अ" में लाल स्याही से अंकित रास्ते से आता जाता है उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की भूमि पर पहुंचने का नहीं है। मौके का नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में जाने वाले उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाने हेतु प्रार्थी ने कई बार प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को दिये लेकिन आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई गत आठ दिन पहले प्रार्थी ने अप्रार्थी से नियमानुसार राशि जमा कर रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी ने प्रार्थी की भूमि पर जाने के रास्ते के अंकन से साफ इंकार कर दिया । प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की भूमि में आने जाने का रास्ता खसरा संख्या 556, 864/556 में होकर 25 फीट चौड़ा तथा उत्तर दक्षिण सम्पूर्ण लम्बाई में खसरा संख्या 561/730 की भूमि में निकले हुये रास्ते से होता हुआ प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की भूमि खसरा संख्या 561/732 तक पहुंचने का रास्ता ही एक मात्र रास्ता है। जिसका राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन होना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है। जिसके लिये प्रार्थी खसरा संख्या 556, 864/556 के खातेदार को अप्रार्थी भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवां के माध्यम से राजकोष में न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार कीमत अदा करने को तैयार है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की भूमि में आने जाने का अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं हैं। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह खसरा संख्या 556, 864/556 में होकर 25 फीट चौड़ा तथा उत्तर से दक्षिण सम्पूर्ण लम्बाई में नक्शा परिशिष्ठ "अ" में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार अपने खातेदारी अधिकार की भूमि खसरा संख्या 561/732 में पहुंचने के एक मात्र रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड नक्शे में करवाये। उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपार एवं अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नकद के रूप में कदापि संभव नहीं होगी तथा प्रार्थी को अपने खाते की भूमि पर पहुंचने से वंचित होना पड़ेगा। वादग्रस्त भूमि ग्राम नन्दगांव तहसील नैनवां में स्थित होने से तथा प्रार्थना पत्र धारा 251 (ए) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अधीन होने के कारण प्रार्थना पत्र श्रवण का न्यायालय श्रीमान का क्षेत्र संबंधी क्षेत्राधिकार एवं श्रवण संबंधी श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री प्रदान की जावे (1). यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2व 3 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 556, 864/556 में होकर 25 फीट चौड़ा तथा उत्तर से दक्षिण सम्पूर्ण लम्बाई में नक्शा परिशिष्ठ "अ" में लाल स्याही से अब मार्क से दर्शाये अनुसार खसरा संख्या 561/730 में निकले हुये रास्ते तक प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की

भूमि खसरा संख्या 561/732 में पहुंचने के एक मात्र रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में कीमतन दर्ज किया जावे (2) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता प्रार्थी को प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.01.2025 के द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता अपीलांट के खाते की खसरा नम्बर 925/556 व खसरा नम्बर 864/556 की भूमि में कायम किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.01.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.01.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.01.2025 निरस्त किया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.25 पर न तो कोई नोटिस जारी किया गया और न ही कोई नोटिस प्रार्थी को प्राप्त हुआ है। उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 08.07.25 को हल्का पटवारी द्वारा बतलाने पर हुयी जिसपर नकल का आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 09.07.25 को नकल प्राप्त की इस प्रकार आदेश दिनांक 30.01.25 से दिनांक 08.08. 25 तक की अवधि कन्डोन फरमाया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। प्रार्थी गरीब ग्रामीण काश्तकार पेशा व्यक्ति है न्यायहित में उदारता का रूख अपनाया जाकर अवधि कन्डोन किये जाने के आदेश प्रदान करें। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी से अपील पेश करने मे हुयी कुल

देरी रीजनेबल एवं बोनाफाइड होने से अपील को अवधि मध्य मानी जाकर प्रार्थी को अपील मे सुनवायी किये जाने के आदेश प्रदान करे। अपील प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है, वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार न होने व जानकारी न होने के कारण हुआ है, जो सद्भाविक होने से क्षम्य किये जाने योग्य है, अपील पेश करने में हुई देरी की अवधि को कन्डोन किया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के विचाराधीन रहते हुए प्रार्थना–पत्र वास्ते दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिए जाने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत है। उक्त दस्तावेज अपील के न्यायिक निस्तारण में सहायक है। उक्त दस्तावेजों पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त दस्तावेजो को रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज हस्तगत अपील एवं प्रकरण से सम्बंधित दस्तावेज नहीं है। उक्त दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत नहीं है तथा अपील के निस्तारण में भी सहायक नहीं है। अतः उक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक नहीं है। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र वास्ते दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिए जाने बाबत खारिज किए जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रार्थना–पत्र पर की गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज शपथ–पत्र एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणित पत्र की मूल प्रतियॉ है उक्त दस्तावेजो पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। उक्त दस्तावेजों का प्रकरण से सुसंगत होना प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र वास्ते दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिए जाने बाबत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अपीलांट की

ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र वास्ते दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिए जाने बाबत स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कियोग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि न्याय एवं संचिका मे सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये विना ही अपीलान्ट के विरूद्ध आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने न तो अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी किया और न ही सुनवायी का कोई अवसर ही प्रदान किया गया इस प्रकार योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो के विपरीत है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को आदेश प्रदान करने से पूर्व नोटिस जारी करना भी उचित नही समझा और न ही अपीलान्ट को कोई नोटिस मिला ना ही आदेश में एक शब्द तक अंकित नहीं है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस और भी कोई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेन्ट का रास्ता अपीलान्ट की आराजी में से कभी भी नहीं रहा । पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट अपूर्ण है। विधिक प्रावधानो के अनुसार हल्का पटवारी को रिपोर्ट तैयार करने का अधिकार प्राप्त नहीं है रिपोर्ट प्राप्त करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी किया गया हो ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर नही है इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट अपूर्ण है जिसपर अपीलान्ट को नही सुना गया और न ही अपीलान्ट की उपस्थिति में तैयार की गयी है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने रिपोर्ट का गुणावगुण पर अध्ययन नही किया, जब अपीलान्ट की आराजी में से कोई रास्ता नही रहा है, तब रेस्पोडेन्ट कहा से निकलता है। उक्त तथ्य रिपोर्ट पर नही है। रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जिसका रेस्पोडेन्ट निरन्तर उपयोग करता चला आ रहा है। किन्तु उक्त तथ्य का अवलोकन किये बिना ही अपीलान्ट को आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नही दिया कि रास्ते में गई भूमि का मुआवजा कितना होता है तथा कहां जमा करवाना है जिसका निस्तारण किये बिना ही आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.01.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2022(1) पेज 693, आर.सी.सी. 2009 एस.सी. पेज 499, आर.एल.डब्ल्यु. 2005(1) पेज 131, आर.आर.टी. 2013(2) पेज 985, आर.एल.डब्ल्यु. 2002 एन.ओ.सी. पेज 100, आर.बी.टी. 1999 एच.सी. पेज 72 प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपीलान्ट

स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाक 30.01.22025 निरस्त किए जाने तथा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रसतुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सव्यय खारिज किए जाने का निवेदन किया।

9. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को अप्रार्थी संख्या 1 के रूप में पक्षकार कायम किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की प्रोपर तामील करवाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन नोटिस की अपीलांट को तामील हुई है। अपीलांट जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की अपीलांट को जानकारी रही है इसके बावजूद भी अपीलांट जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रारंभ से ही जानकारी रही है, इसके बावजूद भी अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में जानबूझकर उपस्थित नहीं हुआ। अपीलांट द्वारा अपील गंभीर रूप से विलम्ब से पेश की गई है। विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र धारा 5 में झूठे व मनगढन्त कथन अंकित किए है अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो रास्ता खसरा नम्बर 454 की भूमि में कायम किया है वह रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की भूमि में आने जाने हेतु मौके पर विद्यमान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रास्ते के संबंध में रिपोर्ट तलब की। प्रश्नगत रास्ते की रिपोर्ट पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा विधिवत रूप से तैयार की गई । उक्त रिपोर्ट में भी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 925/556 व खसरा नम्बर 864/556 की भूमि में होने का अंकन है। उक्त रिपोर्ट सक्षम अधिकारी द्वारा विधि अनुसार तैयार की गई है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत रास्ता खसरा नम्बर 925/556 व खसरा नम्बर 864/556 की भूमि में कायम किये जाने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है। प्रश्नगत रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की आत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.01.2025 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.01.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

10. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रालवी के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया। अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की तामील नहीं हुई थी तथा अपीलांट की अनुपस्थिति में प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 10.07.2023 में अप्रार्थी संख्या 1 अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किए जाने का अंकन है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.01.2025 की जानकारी नहीं होने का कथन विश्वसनीय प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। न्यायहित में अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से स्वयं के खाते की वाके ग्राम नंदगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी कीखसरा नम्बर 561/732 रकबा 0.9627 हैक्टेयर आराजी में आने जाने हेतु रास्ता खसरा संख्या 864/556 की भूमि में कायम किए जाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के अनुसार ग्राम नंदगांव तहसील नैनवां की प्रश्नगत खसरा संख्या 864/556 रकबा 0.4854 हैक्टेयर भूमि भंवरलाल पुत्र रामकरण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अतः प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांट के खाते की प्रश्नगत खसरा संख्या 864/556 रकबा 0.4854 की भूमि में होकर रास्ता चाहा गया है। अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट तामील करवाए बिना तथा अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय दिनांक 30.01.2025 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.07.2022 को संस्थित किया गया है। आदेशिका दिनांक 05.07.2022 में प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किए जाने का आदेश अंकित है तथा आगामी पेशी 26.08.2022 अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में कहीं भी अपीलांट अप्रार्थी संख्या 1 को सम्मन नोटिस/सूचना–पत्र जारी किए जाने का अंकन नहीं है। अधीनस्थ

न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट को जारी सम्मन नोटिस संलग्न है जिस पर जारी किए जाने की दिनांक 15.07.2022 अंकित है तथा आगामी पेशी दिनांक 26.08.2022 नियत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 10.07.2023 में अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामील प्राप्त होने तथा अप्रार्थी संख्या 1 के बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही किए जाने का आदेश अंकित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को दिनांक 26.08.2022 को उपस्थित होने हेतु दिनांक 15.07.2022 को जारी किए गए सम्मन नोटिस की तामील होना दिनांक 10.07.2023 को स्वीकार किया गया है। अपीलांट को दिनांक 15.07.2022 को जारी सम्मन नोटिस की तामील अपीलांट को किस दिनांक को हुई, इसका अंकन सम्मन नोटिस दिनांक 15.07.2022 पर नहीं किया गया है। अपीलांट का कथन है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी कोई सम्मन नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। अतः हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की प्रोपर तामील नहीं करवाया जाना प्रकट होता है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन नोटिस की अपीलांट को तामील नहीं हुई अतः अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की प्रोपर तामील करवाए बिना ही अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 10.07.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही किए जाने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में विवादित रास्ते की रिपोर्ट तलब किए जाने से पूर्व अपीलांट को जारी किसी प्रकार के सम्मन नोटिस/सूचना–पत्र संलग्न नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित रास्ते की रिपोर्ट तैयार किए जाने से पूर्व अपीलांट को कोई सूचना नहीं दिया जाना प्रकट होता है। चूंकि अपीलांट को विवादित रास्ते की रिपोर्ट तैयार किए जाने से पूर्व सूचित नहीं किया गया अतः अपीलांट विवादित रास्ते की रिपोर्ट तैयार किए जाने के दौरान मोके पर उपस्थित नहीं हो सका तथा विवादित रास्ते की रिपोर्ट के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सका। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए, अपीलांट को बिना सुने ही प्रश्नगत निर्णय दिनांक 30.01.2025 में अपीलांट के खाते की भूमि में रास्ता कायम किए जाने का आदेश अंकित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में अपीलांट को न्यायहित में साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के निर्देशों के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

11. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 131/2022 (gcms no. 2022/247) में पारित निर्णय 30.01.2025 निरस्त किया

जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 15.12.2025 को स्वयं उपस्थित रहें

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

13. निर्णय आज दिनांक 14.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/10/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा